ITEM NO : 1 : MINUTES OF THE 78TH MEETING OF SPICES BOARD HELD AT ITANAGAR ON 25th OCTOBER 2014

<u>25 अक्तूबर 2014 को इटानगर में आयोजित स्पाइसेस बोर्ड की 78 वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

स्पाइसेस बोर्ड की 78 वीं बैठक 25 अक्तूबर 2014 को सायं 3.00 बजे इटानगर, अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुई। डॉ.ए.जयतिलक आई ए एस अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे:

1) श्री रवेला गोपालकृष्णा
2) श्री बी.एम. मुनिराजू
3) श्री जोजो जॉर्ज
4) श्री आन्जो जोस
5) श्री ई.के.वासु
6) श्री ई.एम.अगस्ती
7) श्री के. ज़िया-उद-दिन-अहमद
8) डॉ. हातोबिन माई
9) श्री प्रदीप कुमार , वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि
10) श्री कर्मा शेर्पा (सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि)
11) डॉ. मात्यू सामुवल, कलरिक्कल
12) डॉ. एम. माधव नायडु(निदेशक, सी एफ टी आर आई का नामिती)

निम्न लिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1. श्री एस.तंकवेलु, सांसद
2. निदेशक , वित्त प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय
3. निदेशक, योजना आयोग
4. निदेशक, आई आई एस आर
5. निदेशक, आई पी एम
6. संयुक्त सचिव मिशन निदेशक (एन एच एम) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय,नई दिल्ली)
7. प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधि
8. प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि
9. सुश्री अनीता करनावर
10. श्री विजु जेकब
11. श्री अजित तोमस

12. श्री मानसिंह परसौदा
13. श्री कुमारलाल ताहिलियानी
14. श्रीमती विजयलक्ष्मी राजेष
15. श्री भास्कर शाह
16. डॉ. वी.आर.राजीव मोहन

बोर्ड के निम्न लिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री पी.एम. सुरेषकुमार, सचिव
2. डॉ. जे. तोमस, निदेशक(अनुसंधान)
3. श्री एस. सिद्दरामप्पा, निदेशक(विकास)
4. श्री के.सी. बाबु , निदेशक

अध्यक्ष ,स्पाइसेस बोर्ड ने शुरू में इटानगर की बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया ।

मद सं.1: 23 जून 2014 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 77 वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

पुष्टीकरण किया गया ।

मद सं.2: 23 जून 2014 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 77 वीं बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

सचिव ने बोर्ड की पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के बारे में संक्षेप में बताया और बोर्ड ने उसे नोट किया।

मद सं.3: उत्तर पूर्व सहित क्षेत्रों में नए कार्यालयों की स्थापना और वर्तमान कार्यालयों को मजबूत बनाना

नोट किया गया।

मद सं.4: आर के वी वाई के अधीन जम्मू व कश्मीर में केसर के विकास केलिए विशेष पैकेज - भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत

अध्यक्ष महोदय ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन केसर उत्पादन व निर्यात विकास एजेंसी (एस पी ई डी ए) की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में सूचित किया। इस एजेंसी द्वारा केसर के उत्पादन, विकास, घरेलू विपणन औए निर्यात संवर्धन चलाने का प्रस्ताव है। यह एक पाइलेट परियोजना है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करके कृषि मंत्रालय की अनुमति केलिए भेजा है। मसालों की शक्यता के आधार पर अन्य राज्यों में समान ढंग की मसाला विनिर्दिष्ट एजेंसियों पर विचार किया जाएगा।

मद सं.5: एम आई डी एच/आर के वी वाई(राज्य वार) के अधीन वित्तीय सहायता केलिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तुत किए गए एकीकृत मसाला विकास परियोजना संबंधी स्टैटस नोट

बोर्ड ने नोट किया कि 29 राज्य सरकारों व 6 संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तुत की गई एकीकृत 67 परियोजनाओं में से छ: राज्यों ने एस एल ई सी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया। केरल सरकार को प्रस्तुत की गई परियोजना का निरसन किया गया। बोर्ड सदस्यों ने केरल सरकार को भेजे गए प्रस्ताव और उस पर प्राप्त जवाब की प्रति का अनुरोध किया ताकि वे केरल सरकार से इस बात को लेकर अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें। सदस्यों ने अन्य राज्य सरकारों के साथ आगे की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने में अपने समर्थन का आश्वासन दिया।

मद सं:6: वन-पारिस्थिति तंत्र और इलायची उद्योग को बरकरार रखने केलिए इलायची खेती केलिए पट्टे पर दी गई ज़मीन के पट्टे के पुन:नवीकरण का प्रस्ताव

मद सं.15(अ) के अधीन चर्चा की गई।

मद सं:7: केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एम आई डी एच के अधीन 2014-15 के दौरान 500 लाख रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय में बोर्ड के फ़सलोत्तर कार्यक्रमों का अनुमोदन

नोट किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि कृषकों को मंजूर राशि की इमदाद पर उच्चतर क्षमता वाले शुष्कक स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

मद सं:8: तमिलनाड़ क्षेत्र के लोवर पलनी पहाड़ों में क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन (आई सी आर आई) की स्थापना केलिए तांडिकुडी गाँव में ज़मीन

नोट किया गया ।

मद सं:9: स्पाइसेस पार्कों की स्थापना की स्थिति

नोट की गई ।

मद सं:10: गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की स्थिति

नोट की गई।

मद सं:11: वित्तीय वर्ष 2014-15 केलिए मसालों का निर्यात

नोट किया गया। सदस्यों ने पाया कि स्थानीय विपणियों में मिलने वाली मिर्च में एफ़्लाटोक्सिन का स्तर बहुत ऊंचा है । सदस्यों ने मिर्च से एफ़्लाटोक्सिन दूर करने हेतु जागरण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

मद सं:12: खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के कार्यान्वयन केलिए क्षमता-निर्माण: सहयोजित प्रशिक्षण केंद्र(सी टी सी) की स्थापना

नोट किया गया।

मद सं:13: आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना के मिर्च कृषकों को बेहतर विपणी प्राप्ति और मूल्य उपार्जन केलिए इ-कॉमर्स प्लाट्फ़ोर्म इ-चिल्ली बाज़ार संबंधी परियोजना केलिए बजट का अनुमोदन

अनुसमर्थन किया गया ।

मद सं:14(i): स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों की स्थिति

नोट की गई। जैसे कि नाशीजीवनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से एकाध निर्यात विपणियाँ नष्ट हो चुकी हैं, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा, नाशीजीवनाशियों के नैतिक प्रयोग के प्रचार-प्रसार की पहल की जाने का सुझाव किया गया। अत: सदस्यों ने बोर्ड को नाशीजीवनाशियों के नैतिक प्रयोग के बारे में कृषकों केलिए जागरण-कार्यक्रम आयोजित करने को सुझाया।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम 2014

नोट किया गया ।

मद सं:15: डॉ.मात्यू सामुवल कलरिक्कल, बोर्ड सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची मद :

मद सं:15(अ): कस्तूरी रंगन रिपोर्ट का इलायची बागानों पर प्रभाव

डॉ.मात्यू सामुवल कलरिक्कल ने कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणामों पर एक पावरपोयंट प्रेसंटेशन पेश किया। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड इलायची उद्योग की आशंकाओं को केंद्रीय सरकार के ध्यान में ला चुका है और सूचित किया कि इस पर बोर्ड का विचार दोहराया जाएगा।

मद सं.15(आ): नए नीलाम लाइसेंसों केलिए अभिरुचि का प्रकटीकरण(ई ओ आई) आमंत्रित करते हुए अधिसूचना

विशेषज्ञ-समिति की रिपोर्ट बोर्ड में रखी गई। सदस्यों ने पाया कि समिति में व्यापारियों की तरफ से तत्पर लोग शामिल हैं। अत: समिति से व्यापारियों को हटाया गया। *पुन:संगठन के दौरान , अभिरुचि में भिन्नता दूर करने केलिए सदस्यों ने स्पष्ट किया कि वे नीलाम लाइसेन्स में रुचि रखने वाले नहीं हैं।* अत: निम्न लिखित सदस्यों सहित समिति का पुन:गठन करने का निर्णय लिया गया:

1. श्री अजित तोमस, बोर्ड सदस्य
2. श्री अगस्ती, बोर्ड सदस्य
3. श्री वासु, बोर्ड सदस्य
4. डॉ.मात्यू सामुवल कलरिक्कल, बोर्ड सदस्य
5. डॉ. माधव नायडु,वैज्ञानिक, सी एफ टी आर आई
6. एड्वोकेट पी.जे. चाक्को, इलायची रोपक , पुतुपरंबिल हाउस, 31 मुंडाकयम

7. फ़ादर एलोशिएस ओ एस बी, इलायची रोपक , सेंट तोमस बेनेडिक्टिन मोनास्ट्री नोविटाट, वाषावीड,पाम्पाडुंपारा

8. एम.गुरुवप्पा गौड़ा, मुड़िगरे, बिल्लूर पी.ओ., मुडिगेरे तालुका ,चिकमगलूर जिला

अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि पुन:गठित समिति पूर्ववर्ती विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर विचार करें। कोई भी पणधारी अपना मामला नई समिति के समक्ष रख सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान नीलाम लाइसेंस अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक ही बढ़ाई गई है और आगे उसे नहीं बढ़ाया जाएगा। नई लाइसेन्स सभी पात्रता प्रतिमान पूरा करनेवाले आवेदकों को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने ई ओ आई का जवाब दिया है। विलंब के मामले में, नई लाइसेन्स जारी की जाने तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन की एक सरकारी एजेंसी कृषकों के हितों के संरक्षण हेतु नीलाम चलाएगी।

अतिरिक्त मदें:

सं.1: वन्य जीवों के आक्रमण से बड़ी इलायची की सुरक्षा हेतु अरुणाचल प्रदेश में पैलेट प्रोजेक्ट

वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की सिफ़ारिश की गई।

सिक्किम में स्पाइसेस पार्क

सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि स्पाइसेस पार्क स्थापित करने केलिए उपयुक्त ज़मीन का वादा करते हुए राज्य सरकार आगे आई है। बोर्ड ने प्रस्ताव स्वीकार करने और सिक्किम राज्य सरकार के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

अरुणाचल प्रदेश में मसालों का विकास

बोर्ड ने इटानगर में राष्ट्रीय संगोष्ठी चलाने और राज्य में बोर्ड के क्रियाकलापों को मजबूत बनाने में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार की ओर से प्राप्त समर्थन पर चर्चा की और उसकी तारीफ की। अरुणाचल प्रदेश राज्य बागवानी विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) बनाने का निर्णय लिया गया।

अन्य मदें

मिर्च कृषकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं जैसे कि शुष्कन,श्रम,नाशीजीव अवशेष ,मिर्च जांच केलिए कृषक इमदाद आदि पर श्री रवेला गोपालकृष्णन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर निदेशक(विकास) ने स्पष्ट किया कि:

- वाणिज्य मंत्रालय से अतिरिक्त निधि की मंजूरी पर दो प्रदर्शन शुष्ककों पर विचार किया जाएगा।

– मिर्च कृषकों को जांच केलिए 90% कृषक इमदाद अब प्राप्त है।

– वाणिज्य मंत्रालय से अतिरिक्त निधि की मंजूरी पर अतिरिक्त आई पी एम किटों के वितरण पर विचार किया जाएगा।

विपणी विकास समिति के दो रिक्त स्थानों की भराई

सचिव ने बोर्ड को सूचित किया कि विपणी विकास समिति में अब दो रिक्तियाँ हैं और इनकी भराई राजपत्र की अधिसूचना के खंड(घ) के अधीन नियुक्त सदस्यों से की जानी है। जैसे कि बैठक में खंड(घ) के अधीन नियुक्त सदस्य उपस्थित नहीं हैं, या अन्य समितियों में सदस्यों का नामांकन हो चुका है, चयन आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक को सफल और यादगार बनाने के तहत सभी सदस्यों को धन्यवाद अदा किया।

बैठक सायं 6.00 बजे समाप्त हुई।